

प्रांक सं०-यूईपीपीसीबी/एच.ओ./सा०- 325/ २००- १५६

दिनांक- २७. ५. २०२६

कार्यालय ज्ञाप

एतद्वारा Ease to Business के अन्तर्गत बोर्ड के अध्यक्ष की अनुमति से निम्नानुसार निर्देशित किया जाता है। :-

- 1) लाल श्रेणी के उद्योगों को 01 वर्ष, नारंगी श्रेणी के उद्योगों को 05 वर्ष तथा हरी श्रेणी की उद्योगों को 15 वर्ष की समय अवधि के संचालन हेतु सहमति प्रदान की जायेगी। उद्यमी को आवेदन के समय उपरोक्त अवधि का शुल्क बोर्ड में जमा कराना होगा।
- 2) स्थापना हेतु सहमति की वैद्यता अवधि 01 वर्ष के स्थान पर 05 वर्ष के लिए माव्य होगी।
- 3) Stack Monitoring, Industrial Effluent तथा Ambient Monitoring के लिए Environment (Protection) Rules 1986 के अन्तर्गत पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अनुमोदित प्रयोगशालाओं की विश्लेषण आख्याए Third Party Certification के रूप में माव्य होंगी।
- 4) हरी श्रेणी के उद्योगों की संचालन हेतु सहमति के Auto Renewal की व्यवस्था भी लागू की जाती है।
- 5) हरी श्रेणी के उद्योगों के Auto Renewal के लिए निम्न शर्तें होंगी:-
 - i. If there is no increase in the production capacity and/or pollution load; and
 - ii. If there is no increase in capital investment.
 - iii. Industry will have to submit a self certification on compliance of earlier consent conditions. This self certification shall be submitted by the authorized official of the industry, duly authorized by the owner/board of directors.
 - iv. Auto renewal will be considered for five years only if CCA is granted for 15 years. (Green Category Only) subject to payment of the renewal fee for auto-renewed period.
- 6) सभी श्रेणी के स्थापना हेतु सहमति में भी Auto Renewal पूर्व निर्गत वैद्यता अवधि से आधी अवधि के लिए लागू की जाती है। Auto Renewal निम्न शर्तों के साथ लागू की जाती है। :-
 - i. If there is no increase in the production capacity and/or pollution load; and
 - ii. If there is no increase in capital investment.
 - iii. Industry will have to submit a self certification on compliance of earlier consent conditions. This self certification shall be submitted by the authorized official of the industry, duly authorized by the owner/board of directors.

उपरोक्त आदेश तुरन्त प्रभाव से लागू किये जाते हैं।

७५
विनोद सिंहल/१६
६/ सदस्य सचिव

प्रतिलिपि:-

1. अध्यक्ष महोदय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहरादून।
2. श्री हरीश आडवानी, वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन.आई.सी., गुजरात को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि Ganga XGN में तदानुसार संसोधन करने का कष्ट करें।
3. युनिट हेड, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
4. समस्त क्षेत्रीय अधिकारी/प्रभारी, क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।
5. Scrutiny staff, कुमाऊँ एवं गढ़वाल मण्डल।
6. गार्ड फाईल।

१६
सदस्य सचिव/१६